



HAMIRPUR POLICE



थाना मौदहा/साइबर सेल

दिनांक 24.09.2022

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रु से अधिक की साइबर ठगी करने वाले संगठित अन्तरराज्यीय गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2022 को वादी शहबाज खान पुत्र मोहसिम खान ग्राम मदारपुर थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को फॉरेस्ट विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर नामजद अभियुक्त इन्तजार खान पुत्र वहाब खान निवासी मधिया थाना मुगलसराय जनपद चंदौली एवं उसके गैंग द्वारा 2,94,300/- रु0 की साइबर ठगी करने संबन्धित प्रार्थनापत्र पर थाना मौदहा में मु0अ0सं0-356/22, धारा-419/420/467/468/471/406/506 आईपीसी व 66 सी/डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबन्ध में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था इसी क्रम में दिनांक 23.09.2022 को थाना मौदहा एवं साइबर क्राइम हमीरपुर की संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम नरायच के पास हाइवे रोड़ थाना मौदहा से 03 अभियुक्तों 1)अंकित त्रिपाठी पुत्र अरुणोदय त्रिपाठी उम्र करीब 29 वर्ष ग्राम लच्छीपुर थाना मल्लावां जनपद हरदोई, 2)सूरज कुमार पुत्र महेश कुमार उम्र करीब 24 वर्ष ग्राम हरथला काठ रोड़ सोनकपुर थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद व 3)इन्तजार खान पुत्र वहाब खान उम्र करीब 26 वर्ष नि0 ग्राम मधिया थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों द्वारा अपराध करने का तरीका:-

पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान पाया गया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गिरफ्तार 03 अभियुक्तों अंकित त्रिपाठी, सूरज कुमार व इन्तजार खान के अलावा इनके गैंग में अनिकेत उर्फ अमित, अनुराग त्रिपाठी व अभिषेक पाण्डेय भी शामिल हैं। गैंग के द्वारा FCI में सुपरवाइजर, लेबर, रेलवे में TC, वन विभाग में माली, इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट, चपरासी व हास्पिटल में कम्प्यूटर आपरेटर, स्टाफ नर्स, बैंक में कम्प्यूटर आपरेटर, ब्लॉक में डी.पी.एम. की सरकारी नौकरी देने का फर्जी कार्य करते थे। गैंग के

सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों से सरकारी नौकरी देने हेतु बेरोजगारों को फंसाया जाता था। इसके लिये अभ्यर्थियों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटो कापी के साथ प्रत्येक पद के लिये निर्धारित शुल्क लिया जाता था जैसे- सुपरवाइजर के लिये 03 लाख रु, लेबर के लिये 50 हजार रु, रेलवे में TC के लिये 09 लाख रुपये, इनकम टैक्स असिस्टेंट के लिये 09 लाख रुपये, चपरासी के लिये 03 लाख रुपये निर्धारित शुल्क था। गैंग के प्रत्येक सदस्य मिलकर कार्य करते थे। बेरोजगार अभ्यर्थी को बुलाकर सर्वप्रथम सम्बन्धित विभाग से फर्जी ज्वानिंग लैटर दिया जाता था। उसके उपरान्त उन्हें ट्रेनिंग के लिये बुलाया जाता था। अनिकेत द्वारा कानपुर में FCI नौबस्ता, घंटाघर, रेलवे स्टेशन कानपुर, गुजैनी पौधशाला, इनकम टैक्स ऑफिस में फर्जी ढंग से ट्रेनिंग दी जाती थी। सूरज द्वारा फर्जी ज्वानिंग लैटर, आई0कार्ड, कम्पनी के लोगो व डिजिटल हस्ताक्षर, फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता था। इस तरह गैंग द्वारा करोड़ों की ठगी की गयी। सूरज के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पाया गया कि 10 करोड़ 30 लाख रुपये व अंकित के बैंक स्टेटमेंट से 04 करोड़ 75 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड संबन्धी ट्रान्जेक्शन हुआ है। इस धन से अवैध संपत्ति अर्जित कर ऐशो-आराम में रहते है।

प्रकाश में आये ठगी के शिकार व्यक्ति:-

- 1)श्रीमती पूजा सिंह पत्नी सुबोध सिंह नि0 आवास विकास थाना कल्याणपुर, कानपुर - ₹ 38 लाख। (मु0अ0सं0-735/22, धारा-420/406 आई0पी0सी0 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर)
- 2)अजीत पुत्र कौशल नि0 ग्राम हरेवल थाना मल्लांवा जनपद हरदोई - ₹ 15 लाख।
- 3)यतेन्द्र पुत्र हरपाल नि0 ग्राम कालागढ़ पोठीगढ़वाल उत्तराखण्ड - ₹ 70 लाख।
- 4)दीपक नेगी पुत्र स्याम नेगी नि0 ग्राम सिरौर मनेरी जनपद उत्तरकाशी उत्तराखण्ड - ₹ 09 लाख
- 5)अनुज उपाध्याय पुत्र विनेशचन्द्र नि0 बिलारीडीह थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद - ₹ 30 लाख।
- 6)कैलाश पुत्र रामजतन नि0 ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ - ₹ 03 लाख।

अभियुक्तों से बरामदगी:-

80 हजार रुपये नगद, 01 XUV-500 कार नं0 UP32FJ 6561, 04 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 01 जियो वाईफाई, 01 मोहर, 18 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 07 बैंको की पासबुक, 07 एटीएम कार्ड, 60 आधार कार्ड, 03 पैन कार्ड, 04 आई कार्ड, 01 निर्वाचन कार्ड, 08 बैंकों के चेक, 06 सादा स्टाम्प पेपर, 01 पीली धातु अंगूठी, 01 पीली धातु लाकेट, 01 विधायक लिखा स्टीकर, 07 एडमिट कार्ड, 01 ट्रेनिंग आईकार्ड की फोटो कापी, 01 FCI के आईकार्ड की फोटोकापी, 01 ट्रेनिंग लेटर लखनऊ मेट्रो, 13 मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 04 जाति व निवास प्रमाण पत्र, 01 मोबाइल सिम, अंकित त्रिपाठी का आवासीय भूखण्ड के रजिस्ट्री पेपर

व 10 लाख का श्रीराम लाइफ इश्योरेंस पेपर, 02 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का घोषणा पत्र, 02 मोटर वाहन की आर0सी0, 190 व्यक्तियों के फोटो/आधार कार्ड/पासबुक/पेन कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रिज्यूम पेपर 140 पासपोर्ट साइज की फोटो, रुपयों के आनलाइन ट्रान्जेक्शन सम्बन्धित कागजात करीब 100 कम्पनियों के लोगो, फर्जी आधार कार्ड बनाने का फार्मेट, आई0कार्ड बनाने का फार्मेट, ज्वानिंग लैटर का फार्मेट, स्कैन्ड सिग्नेचर, QR कोड व उसका प्रयोग सम्बन्धित आई0कार्ड व ज्वायनिंग लैटर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- | | |
|--|--|
| 1) प्र0निरीक्षक भरत कुमार थाना मौदहा | 6) हे0का0 संदीप कुमार |
| 2) प्र0नि0 साइबर क्राइम बृजेश कुमार यादव | 7) आरक्षी चन्द्रभवन दिवाकर |
| 3) उ0नि0 श्री रामबाबू यादव थाना मौदहा | 8) आरक्षी यूनिस खान |
| 4) आरक्षी अमित कुमार थाना मौदहा | 9) आरक्षी बाहिद खान |
| 5) आरक्षी उमेश कुमार थाना मौदहा | 10) का0 विनोद कुमार विश्वकर्मा साइबर सेल |

